भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 100
(शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)
एस.ए.जी.वाई. के अंतर्गत सी.एस.आर. निधियां

100. श्री एम.आई. शनवासः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कारपोरेट-सामाजिक दायित्व (सी॰एस॰आर॰) के अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा उपयोग की गई राशि और किए गये मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है; और
(ख) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस॰ए॰जी॰वाई॰) के अंतर्गत उन पंचायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें सीएसआर निधियां प्रदान की गई हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा 30.11.2017 तक की गई फाइलिंग से प्राप्त डाटा के अनुसार, इन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किए व्यय का सारांश निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है और सीएसआर व्यय का क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है:

तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीएसआर व्यय

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2014-15 (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष 2015-16 (करोड़ रुपये में)	वित्तीय वर्ष 2016-17 (करोड़ रुपये में)
1.	पीएसयू	2673.85	4163.09	1325.83
2.	निजी क्षेत्र की कंपनियां	6890.92	9664.77	3393.17
	कुल	9564.77	13827.86	4719.00

(ख): सीएसआर निधियां "सांसद आदर्श ग्राम योजना" सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अधीन प्रयोग में लाई जा सकती हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री के तहत सीएसआर व्यय का पंचायत-वार डाटा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अधीन 'ग्रामीण विकास' पर क्रमशः 1031.02 करोड़ रुपये, 1327.57 करोड़ रुपये और 628.56 करोड़ रुपये का अंशदान दिया गया।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

क्र.सं.	**क्षेत्र**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	स्वास्थ्य/भूखमरी, गरीबी और कुपोषण का निवारण/ सुरक्षित पीने का पानी/स्वच्छता	2,382.27	4,330.21	1,201.37
2	शिक्षा/विक्लांगजन/जीविका	3,021.47	4,689.81	1,605.05
3	ग्रामीण विकास परियोजना	1,031.02	1,327.57	628.56
4	पर्यावरण/पशु कल्याण/संसाधनों का संरक्षण	812.31	901.80	306.68
5	स्वच्छ भारत कोष	94.52	323.24	89.35
6	अन्य कोई कोष	272.58	322.63	137.70
7	लैंगिक समानता/महिला सशक्तिकरण/वृद्धाश्रम/ असमानता हटाना	172.63	331.50	122.60
8	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष	211.04	206.08	109.81
9	खेलों को प्रोत्साहन	53.36	134.76	51.73
10	विरासत कला और संस्कृति	113.62	114.90	49.64
11	स्लम विकास क्षेत्र	101.07	13.60	1.97
12	निर्मल गंगा कोष	4.64	32.52	22.97
13	अन्य क्षेत्र (सशस्त्र सेनाओं को प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर और लाभ, प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा अन्य*)	1,294.24	1,099.24	391.57
	कुल (करोड़ रुपये में)	**9,564.77**	**13,827.86**	**4,719.00**

*निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

*****